Speed Post

No. 1/12/2014-VS CRS (Vol.II)-559

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय/

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1

रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली - 110066

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066Tele-: 26100678

E-mail- rohitb.rgi@nic.in ajayk.rgi@nic.in Fax: 011-26175746 Dated: 19-10-2016

To

Dy. The Chief Registrar of births and deaths

Pune (Maharastra)

Sub: Explanation regarding birth-death certificate being issued by the Medical Institutions.

Sir,

Please refer this office letter/ circular number 1/12/2014-VS-CRS dated 24-02-2016 vide which clarification was issued regarding issuance of birth-death certificate by the Medical Institutions. You were requested vide aforesaid circular to issue necessary instructions to each private medical institutions and those Government institutions (where registration unit has not operating) that any such certificate which bears the title "birth or death certificate" should not be issued to the public because this creates inconvenience among the public about the legality of birth / death certificate. They were asked to issue only a declaration of birth or death event to the concerned.

2. In this connection, it was also requested that institutions should write on the notice board that the information of birth and death occurred in this institution has been sent to the concerned Registrar office for registration. The desired birth/death certificate will be delivered by the same Registrar of birth and death. It is also to inform that as per the available information, this office has not yet received any communication from your end regarding issuance of aforesaid instructions to the concerned institutions. If necessary instructions/ directions have been issued to the concerned, a copy of the same may be sent to this office. However, if instructions are not yet issued, the same may be issued to the concerned institutions for strict compliance. This office may be appraised about the steps taken in this regard.

6999

07 NOV 2016

Yours faithfully

(Rohit Bhardwaj)

Dy. Registrar General (CRS)

प्रत्येक जन्म एवम् मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें/

"Ensure Registration of Every Birth and Death"

स्पीड पोस्ट

सं० 1/12/2014 – जीवनांक (सीआरएस) (खंड-II)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली - 110066
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066
Tele-fax: 26100678 E-mail – rohitb.rgi@nic.in ajayk.rgi@nic.in

दिनांक : 19/10/2016

सेवा मे

मुख्य रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु,

विषय: चिकित्सा संस्थानो द्वारा जारी किये जा रहे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के संबध मे स्पष्टीकरण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के समसंख्यांक परिपत्र दिनांक 01.12.2015 का संदर्भ ले जिसके द्वारा चिकित्सा संस्थानो द्वारा जारी किये जा रहे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के संबध मे स्पष्टीकरण जारी किया गया था। साथ ही उक्त निर्देशो को प्रत्येक निजी चिकित्सा संस्थान एवं ऐसे सरकारी संस्थानो (जहां पंजीकरण इकाई नहीं है) को इस अनुरोध के साथ जारी करने को कहा गया था कि वह अपने चिकित्सा संस्थान मे हुऐ जन्म एवं मृत्यु के बारे मे जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र, जारी नही करे क्योकि इससे जनता मे दुविधा रहती है तथा उसे अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया प्रमाण पत्र समझने की प्रवर्ति रहती है। इस संबंध में यह भी अपील की गई थी कि उक्त संस्थान एक स्लिप जारी करे तथा उसमे जन्म मृत्यु के बारे मे घोषणा करे-(declaration of birth/death)।

2. इसी के साथ ही संस्थान के सूचना पट्ट (notice Board) पर यह लिखवाने को भी कहा गया था कि इस संस्थान मे घटित होने वाली समस्त जन्म एवं मृत्यु की घटना की सूचना सबन्धित रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) के कार्यालय को भेज दी गई है तथा विधिक जन्म - मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार के कार्यालय से ही मिलेगा। उपरोक्त संदर्भ में इस कार्यालय मे प्राप्त जानकारी के आधार पर आपके राज्य से उक्त निर्देशो को जारी किये जाने के बारे मे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अत: आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय को उपरोक्त दिशा-निर्देशो के राज्य मे अनुपालन के संबध मे उठाये गये कदमों से शीघ्र ही अवगत कराये एवं यदि वाछित निर्देश जारी कर दिए गये है तो उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें। यदि अभी तक यह निर्देश जारी नहीं किये गये है तो उक्त निर्देशो को संबधित संस्थानो को कड़ाई से पालन करने हेतु शीघ्र ही जारी करें।

भवदीय

(रोहित भारद्वाज)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

प्रत्येक जन्म एवम् मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें/
"Ensure Registration of Every Birth and Death"